

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

महेश कुमार बनाम रतिकी

किस्म मुकदमा 223 पोर मु. नं० 32 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
12-4-22	<p>अपील दर्ज रजिस्टर हो। कैवियट कर्ता के नोटिस जारी हो। विचारण न्यायालय का रिकार्ड तलब हो। पत्रावली वास्ते बहस स्थगन दिनांक 18-4-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Aag</p>	<p style="text-align: right;">M. J. J.</p>
18-4-22	<p>पत्रावली धरो, वकील अपीलान्ट (उप) कैवियट कर्ता (उप) कामत कश्य (उप) का पत्र दिनांक 22-4-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Aag</p>	
22-4-22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट (उप) का कैवियट कर्ता (उप) का पत्र दिनांक 5-5-22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Aag</p>	
5-5-22	<p>पत्रावली प्रस्तुत/वकील अपीलान्ट/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 5-5-22 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-7-22 को पेश हो।</p>	
18/7/22	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्ट/रेसपो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज 18-7-22 पर हैं। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 3-8-22 को पेश हो।</p>	
3-8-22	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्ट एवं अपीलान्ट स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिसाई गई। इन्तजार किया गया उनके बावजूद अपीलान्ट एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अदम हजरी एवं अदम पत्नी में खारिज दी जाती है। निर्णय को प्रत्यक्ष सुनाना था। प्रकरण फंसल शुमार होकर नंबर से हटा होकर बंद तारीख तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> <b>भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर</b> </p>	